राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी वित्त एवम् विकास निगम
(सामाजिक न्याय और अधिकारिता मन्त्रालय के आधीन भारत सरकार का उपक्रम)
National Safai Karamcharis Finance & Development Corporation
(A Govt. of India Undertaking, Under the Ministry of Social Justice & Empowerment)
An ISO 9001 : 2000 Certified Company

रासकविनि/परि./महाराष्ट्र/18/09/1033 दिनांकः 16.11.2009

सेवा में,
श्री जगदीश रोशन खरे,
निवासीः कपिल नगर, प्लाट नं.123,
नारी रोड, नागपुर-440026
(महाराष्ट्र)

विषयः पॉचवा वेतन फिक्सेशन एवं छटा वेतन फिकसेशन बाबत्

महोदय,

कृप्या पॉचवा वेतन फिक्सेशन एवं छटा वेतन फिकसेशन संबंधी अपनी अपील-दिनांक 16.09.2009 का संदर्भ लेने की कृपा करें।

इस संबंध में निगम आपको अवगत कराना चाहता है कि यह विषय रासकविनि के कार्यश्रेत्र में नहीं आता है एवं निगम इस बारे में काई भी कार्यवाही करने में असमर्थ है। निगम आपसे प्राप्त आवेदन को मूल रूप में आपको वापिस भेजते हुए अनुरोध करता है कि कृप्या इस विषय को संबंधित कार्यालय/अधिकारी के समक्ष रखें।

धन्यवाद।

भवदीय,

(बी. एल. यादव)
उप प्रबन्धक (परि.)

संलग्नकः अपील-दिनांक 16.09.2009 (मूल रूप में)

Harish/hindi/hindi_30_1

बी-2, प्रथम तल, ग्रेटर कैलाश एन्कलेव भाग-II, (सावित्री क्रासिंग) नई दिल्ली-110048
B-2, 1st Floor, Greater Kailash Enclave Part-II, (Savitri Crossing), New Delhi - 110 048
Phone : 011-29221331, 29216330 Fax: 011-29222708
E-mail: nskfdc@yahoo.co.in Website: http://nskfdc.nic.in

भारत सरकार उप क्रम (ति.२.) प्रधान तल ७१२२ कैलाश कक्के व भाग। सोतिन्री क्रासिंग कम्पलेक्स नई दिल्ली = 048

विषय :- भुतपुर्व संयुक्त निर्देशक डॉ. आर. एम. कुलकर्णी साहेब के पत्र क्रमांक 229, संख्या क्रमांक 2–98/के.स.स्वा.यो./जे.आर.खरे/3088, दि. 29/11/2006 के संदर्भ में पाचवा वेतन फिक्कसेशन एवंम 6 वा वेतन फिक्कसेशन सन 1997 को दो बार इंटरीम रिलिफ, डी.ए. कितना दिये सेवा पंजी वेतन, वृध्दी, या पहला पदोन्नती पद (ए.सी.पी.का) दुसरा पदोन्नती पद (ऐ.सी.पी.का) संबंधी, वो, नोट (प्रतिष्ठी किया गया है क्या/कटाहुवा वेतन एवं वैद्य किये रजा का एवमं सी.एल. छुट्टी का एवमं सी.एल. जप्त किया हुआ वेतन वापस, सर्व्हिस बुक दुरस्ती करके एवमं डाजनोन पैड रद्द करके मुझे उचित से उचित मदत करके न्याय मिलादेने बाबत.

अर्जदार :– श्री जगदीश रोशन खेर (उम्र 55 साल, सरकारी नौकरी चपरासी की)

मु. औषधालय क्रमांक 4 सी.जी.एच.एस. ईतवारी नागपूर – 440008.

आदरर्णीय महोदयजी,

सेवा में निवेदन करता हूँ की उपरोक्त स्थान दिनांक 30/10/1973 से सरकारी सेवा नौकरी में कार्यरत हूँ। और हर अधिकारीगण एवं कर्मचारीगण तथा पेशन्ट लोगो के साथ मिलजुलकर अपनी सरकारी डयुटी करते आ रहा हूँ।

मजबुर होकर मेरे साथ क्या हुआ है ईसकी बिती हुई सारी सारी रिपार्ट भेज रहा हूँ।

मेरे साथ मिलकर संबंधी सहयोगीयोने किस प्रकार से उत्पीडन, जुल्म अत्याचार, शारीरिक, मानसिक, आर्थिक और पारीवारिक से प्रताडना किया गया है। इसकी सारी सारी रिपोर्ट आपके पास भेज रहा हूँ। नागपूर के सहयोगी बाबू तथा संबंधी अधिकारीगण ने राजनीती, कुटनीती, बदले की भावना रखकर चालबाजी करके सरकार का बडा हुवा वेतन में हर समय के मुताबिक हेराफेरी करके पगार एवं ऐरीयस बिल निकालते समय हमेशा कि तरह कम दिया जाता है। पाचवा वेतन फिक्कसेशन और छटवा वेतन फिक्कसेशन मे हेराफेरी है।

सन 1997 को दो बार इंटरीम रिलिफ, डी.ऐ. कितना दिये, सेवा पंजी वेतन, वृध्दी या पहला पदोन्नती पद (ऐ.सी.पी. का) दुसरा पदोन्नती पद (ऐ.सी.पी. का) संबंधी, वो, नोट (प्रतिष्ठी) किया गया है क्या? (पांच्वा वेतन फिक्कसेशन) छटवा वेतन फिक्कसेशन में भी गडबडी किया गया है। जुनिअर कर्मचारीयों को मुल वेतन तथा गैर पैस जादा किया गया और सिनिअर कर्मचारीयों का मुल वेतन तथा गैर पैसे कम किया गया है।

मुझे भुतपुर्व संयुक्त निर्देशक डॉ. आर.एस. कुलकर्णी साहेब के पत्र क्रमांक 229/सख्या क्रमांक 2–98/के.स.स्वा.यो./जे.आर.खरे/3085 दिनांक 30/11/2006 के अनुसार मेरा कटा हुआ वेतन या

राष्ट्रीय ... एवं ...
... संख्या 1104
... 29/9/09

डाजनोन किया हुवा वैध किया, रजा, सी.एल. छुट्टी का, जानबुझकर हडतालन का वेतन कटोर्त किया हुआ, सर्व्हिस बुक को दुरूस्ती करके मेरे गरीब की पुरी पुरी मदद करके काटे हुवे वेतन ऐरीयस के साथ वापस करने की विनंती पुर्वक प्रार्थना करता हूँ।

धन्यवाद!

नागपूर

दिनांक : 16 / 9 / 2009

आपका भवदिय

(श्री जगदीश रोशन खरे)

नोट :

1) मेरा दिनांक 28 / 11 / 2006 के मुताबिक भुतपुर्व संयुक्त निर्देशक साहेब ने मेरी पुरी पुरी समझस्यो का निवारण करने का लेटर दिया गया था।

2) सन 1997 को दो बार इंटरीम रिलिफ, डी.ऐ. कितना दिये सेवा पंजी वेतन वृद्धी या पहला पदोन्नती पद (ऐ.सी.पी. का) दुसरा पदोन्नती पद (ऐ.सी.पी.का) संबंधी वो नोट (प्रतिष्ठी) किया गया है। क्या इसकी पुष्टी अभी तक नही दिया गया है।

3) सरकार ने सन 1973 से 2009 तक डी.के. वेतन बडोतरी करते आ रही है। मगर जानकार सुत्रो से मालुम हुवा है की नागपूर के संबंधी अधिकारीगण तथा बाबू कर्मचारीगण ने हमेशा की तरह पगार में ऐरीयस में हर साल के मुताबिक कम निकाला जाता है। इसलिए मेरी पगार जुनिअर से कम दिखाई देती है।

आपके ध्यान पर लादेना चाहता हूँ की कार्यालय के संबंधी अधिकारीगण तथा सहयोगी कर्मचारीगण किस प्रकार से मेरे पिदे पडे है इस का उदाहरण दे रहा हूँ।

1) भुतपूर्व अपर निर्देशक डॉ. बि.बि. चौरीकर साहेब ने पद का दुरउपयोग करके सरकारी नियम तोडकर एक घंटा पहले आने का लेटर दिनांक 10 / 04 / 1987 को दिया गया था। आदेश का पालन करते हुए मैने दि. 11 / 04 / 1987 से 3 / 8 / 1989 तक सफाई काम आधा घंटा जादा किया था। सरकारी नियम अनुसार आधा घंटा जादा काम का मुहजा ओ.टी. मांग था। मगर बदले की भावना प्रगट हो गई।

2) भुतपुर्व उपरनिर्देशक डॉ. बि.बि. चौराकर साहेब साहेब ने मुझे दि. 3 / 07 / 1988 को पहली चार्जशिर्ट नौकरी से निकालने ने की धमकी के साथ दिया गया था।

3) भुतपुर्व अपर निर्देशक डॉ. सौ. उर्मीला महाजन साहीबा ने दिनांक 14 / 07 / 1988 को चार्जशिट बंद करने का लेटर दिया गया था।

4) फिरसे भुतपुर्व अपर निर्देशक डॉ. बि.बि. चौरीकर साहेब ने दुसरी चार्जशिट बदले की पुरी पुरी भवना रखकर दि. 4 / 04 / 1988 को दिया गया था।

5) दि. 23 / 11 / 1989 को मेरे पक्ष अधिकारी श्री. एन.के. चॅटर्जी साहेब ने चार्ज शिट को खंडन करके नागपूर कार्यालय को दिया गया था।

6) भुतपुर्व अपर निर्देशक डॉ. जे.आर. रॉय साहेब ने सन 1990 को मेरा पांच एग्रीमेंट (मुल वेतन) कम किये थे। सन 1990 को मेरा मुल वेतन 940 रुपये था। उसमे से मेरा मुल वेतन 870 रुपये किया गया था। सन 1990 से मुझे ऐरीयस 3197 रुपये कोन से हिसाब से दिया गया है उसका ब्यौरा नही दिया गया।

7) सरकार ने मेरी अपील मंजूर किये और महानिर्देशक साहेब ने दि. 1/6/1995 से 24/8/1995 तक मुझे पत्र दिये और मेरा पांच मुल वेतन वापस किय। ऐरीयस बिल 3197 रुपये दिये ईसका ब्यौरा मांगने पर अभी तक नही दिये।

8) दि. 1/5/1991 को कार्यालय ने जी.पी.एफ. 5017 रुपये लोन कर्ज लिया था। मगर भुतपुर्व संयुक्त निर्देशक साहेब ने भुतपुर्व प्रशासन अधिकारी श्री विजय भोयर साहब को दि. 7/12/2006 को पगार मास्टर दिखानेका मौका मिला। मगर उपरोक्त सारी समस्यायों का निवारण करने के लिए दिखाया गया था। मगर अभी तक कोई न्याय नही मिला। उसी दिन पर दो बार जी.पी.एफ. उठाया गया है। जानकार सुत्रो से मालुम हुआ है। लेकीन इसकी जानकारी कार्यालय ने अभी तक नही दिया है।

9) मेरी शिकायात के अंतर्गत भुतपुर्व प्रशासन अधिकारी श्री. विजय भोयर साहब को दि. 4/04/1995 से 6/4/1995 तक पोलीस स्टेशन सदर ने सेंट्रल जेल भेजकर 48 घंटे बंद रखा था।

10) इसकी जानकारी संबंधी अधिकारीगण को प्रशासन विभाग के बाबु श्री. रमेश कांबळे, श्री. जैस्वाल बाबु, श्री. रमेश लांजेवार, भुतपुर्व लेखपाल श्री. मुरली साहारे साहब दिया है की नही इसकी जानकारी मुझे नही मालुम।

11) दिनांक 23/3/2000 को श्री विजय भोयर इन्होने सरकारी फोन दुरपयोग करके अपने निवास स्थान पर अवैधरूप से टेलीफोन का स्तेमाल किया गया था। इसकी जॉंच चौकशी अधिकरी डॉ. गडपायले साहब ने करके, 25000 रुपये वेतन से रिकव्हरी करने का आदेश कार्यालय को दिया गया था। मगर आदेश का पालन हुआ या नही यह नही मालूम।

12) भुतपुर्व प्रशासन अधिकारी विजय भोयर साहेब ने दिनांक 24/5/2000 को अपने पिता के नामे लक्ष्मण भोयर के नाम पर एल.सी.टी. बिल उठाये थे। जबकी सी.पी. डब्ल्यु डी. में डयुटी पर कार्यरत थे। इसकी जानकारी संबंधीत बाबुओ को थी। फिर भी उन्होंने विजय भोयर का साथ देकर सरकार के साथ धोकाधडी करके एल.सी.टी. बिल उठाये है। यह रिपोर्ट कार्यालय में उपलब्ध है। आप आसानी से देख सकते है।

13) दिल्ली सरकार ने विजय भोयर को नागपूर से कलकत्ता तबादला किया था। और सरकारी लेटर के मुताबिक कहां गया था की तबादला कलकत्ता से नागपूर नही होगा। मगर भष्ट्राचारी लोगो ने मिलकर तबादला नागपूर किया गया। उनके आने से मुझे पारिवारीक परेशानी और पगार में खिलवाड पुरानी दुश्मनी निकालने में नही चुके। यहां तक जान हानी, घर उजाडना, चमचों द्वारा किया गया।

14) दि. 4/6/1988 को एक पत्र नागपूर कार्यालय को और नई दिल्ली को हडताल में भाग नही लुंगा इस प्रकार से लिख कर देने के बाद भी मेरा सन 1988 का वेतन दिनांक 31/9/2005 को 29 दिनका वेतन काटे है। जब की मैं अपनी डियुटी पुरी तरह कर रहा था। मगर मेरा हाजरी मस्टर न

दिखाते हुए और चिकित्सा अधिकारी श्री. डॉ. जोशी को धमकी देकर झुठा लेटर लिखाकर मेरा वेतन काटा गया है।

15) पगार प्रमाणपत्र के मुताबिक देखने में यह आया है की मेरा मुल वेतन जी.पी.एफ., मकान किराया भत्ता, नगर प्रतिपुर्ती भत्ता, महंगाई भत्ता, सा.भ. निधी, अग्रिम जमा भत्ता, सामान्य भविष्य निधी, जमा राशी भत्ता, में हेराफेरी किया गया है। इसकी जानकारी प्रमाणपत्र के साथ निवेदन किया मगर कोई प्रकार से ध्यान नही दिया गया।

16) भुतपुर्व अपर निर्देशक डॉ. जे.आर. रॉय साहब ने सन 1989 को आधा घंटा अपनी डियुटी पर पहले आने का लेटर कार्यालय नियम अनुसार दिया गया था।

17) प्रशासन विभाग के श्री. रमेश कांबले बाबू एक मेट्रीक पास है और सन 1973 से 2009 तक एक ही जगह कार्यरत है। चमचे गिरी करके अपना उलटा सिधा करके अधिकारीगण को गुमरहा करके सुपरीटंडन का वेतन उठा रहा है।

18) जानकार सुत्रो से मालुम हुआ है की, मेरी सर्व्हिस बुक में हर महीने हर साल की मॅडीकल छुट्टी एवं इ.एल. छुट्टी का ब्योरा नही दिया जाता है। अपने मनचाहे छुट्टी खत्म कर कम दरशाया गया है। ईसके लिए कई बार निवेदन दिया मगर कोई बात का असर नही हुआ हैं। और संबंधी अधिकारी गण भी कोई प्रकार से ध्यान नही देते है।

19) जानकार सुत्रो से मालुम हुवा हैं भुतपुर्व प्रशासन अधिकारी विजय भोयर साहेब का सेवा निवृत्त होने के बाद भी बार बार कार्यालय में क्यों आते है और सभी संबंधी अधिकारीगण तथा कर्मचारीगण से कोनसी बात हेाती है जीससे हर समय मुझे बदले की भावना से कार्यालय के संबंधी अधिकारीगण तथा कर्मचारीगण ने अभी भी बदले की भावना नही छोडी है।

दि. 31/05/1985 को दस दिन का वेतन काटे है। दि. 26/03/1985 को पांच दिन का वेतन काटे हैं। 27/6/1985 को पांच दिन का वेतन काटे है। 18–19/8/1987 को पांच दिन का वेतन काटे है। 14/3/1987 को एक दिन का वेतन काटे है। 27/7/1988 को एक दिन का वेतन काटे है। दिनांक 14/3/1988 को एक दिन का वेतन काटे है। दि. 28/7/1988 को एक दिन का वेतन काटे है। सि.एल. छुट्टी का और छुट्टी भी जप्त करा के रखे है। दि. 4/01/1989 को दो दिन का वेतन काटे है। दि. 10/1/1996 को एक दिन का वेतन काटे है। दि. 2/6/1996 को एक दिन का वेतन काटे है। दि. 3/6/1996 को एक दिन का वेतन काटे है। दि. 5/6/1997 से 9/6/1997 तक पांच दिन का वैध किया रजा का वेतन काटे है। दि. 31/9/2005 को 29 दिन को वेतन काटे है। दि. 23/2/2009 से 26/2/2009 तक चार दिन का वैधकिया रजा का वेतन काटे है। अपर निर्देशक डॉ. जी एन. पौनीकर साहेब को भडकाकर मेरा चार दिन का वैध किया गया रजा काटे है जबकी हडताल लिस्ट में मेरा नाम नही था। और जानबुझकर काटे है। इसकी रिपोर्ट भेज रहा हूँ।

कार्यालय के संबंधी अधिकारीगण ने मेरे घर को धमकी लेटर डियुटी पर उपस्थीत होने का पोस्ट द्वारा भेजा गया था। आदेश का पालन करते हुए मैने अपनी वैध किया रजा की छुट्टी डॉक्टर से लेटर बात कर डियुटी में जाने की अनुमती मांगा था।

आपसे प्रार्थना करता हूँ की नागपूर कार्यालय के संबंधीबाबू लोगो एवं अधिकारीण पर उचित कार्यावाही करके मेरे उपर होने वाले मासनिक, शारीरिक, आर्थिक और पारिवारीक अत्याचार का निर्वारण करके उपरोक्त विषयो पर ध्यान देकर मुझे उचित न्याय मिला देंगे। ऐसी विनंती करता हूँ।

नागपूर

दिनांक : 16 / 09 / 2009

आपका भवदिय

जगदीश खरे

जगदीश रोशन खरे

कपिल नगर, प्लॉट नं 123,

नारी रोड, नागपूर – 440026.

प्रतीलिपी :–

1) मा. अपर निर्देशक, डॉ. जी.एन. पौनीकर साहेब, के.सा.स्वा.यो. सेमीनरी हिल्स, नागपूर
2) मा. महानिर्देशक साहेब, केंद्रीय सरकार, पांच ब्योरा सी.जी.एच.एस. नई दिल्ली – 11.
3) मा. मुख्य वेतन तथा लेखा अधिकारी साहेब, मंत्रालय स्वास्थ तथा परीवार कल्याण द्वारा औषधी भंडार मुंबई.
4) मा. स्वास्थ मंत्री साहेब, केंद्रीय सरकार स्वास्थ योजना मंत्रालय, निर्माण भवन नई दिल्ली–11.
5) मा. मुख्य सी.बी.आय. अधिकरी साहब, मुख्य कार्यालय, सी.बी.आय. नई दिल्ली.
6) मा. पोलीस आयुक्त साहब, पोलीस कार्यालय, सिव्हील लाईल, नागपूर.
7) मा. एस.सी., एस.टी. आयुक्त साहब, मुख्यकार्याजय अनुसुतिचत जाती तथा जनजाती परिचरी खंड (1) नई दिल्ली.
8) मा. राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी वित एवं विकास निगम अधिकारी साहब, भारत सरकार उपक्रम (वि.र) प्रथम तल ग्रेटर कैलाश कन्कलेव भाग सावित्री क्रासिंग कार्यालय नई दिल्ली – 48
9) मा. सचिव्र पी.एस. वर्मा साहब, मंत्रालय दुसरा माला सरदार पटेल निर्माण भवन, नई दिल्ली – 11.
10) मा. सफाई आयोग साहब, मुख्य कार्यालय राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग बि. विंग, चतुर्थतल, लोकनायक भवन यान मार्केट नई दिल्ली – 03